

FORM NO.III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

उषा केवर

बनाम श्री

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 72/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>27.2.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरे के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>उषा केवर</u></p> <p>पति श्री <u>श्री. दिग्विजय सिंह रायपुर</u></p> <p>निवासी <u>झोछड़ी (चित्तौड़गढ़)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>झोछड़ी (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>385, 386, 387, 388, 389</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> कुल रकबा <u>2.3980</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>झोछड़ी (चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>385, 386, 387, 388, 389</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>2.3980</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>2000</u> रुपये अक्षरे <u>60 हजार रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <div style="text-align: right;">  (जी.के. शर्मा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) </div>